संख्या-41/2023/001-571-2373510-2023-12-5-9-2021

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2023**

विषय :- फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-107/डाटा-बैंक-वित्तीय स्वीकृति/2023-24, दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी, 05-फसलो की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो का डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रू.194.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू. 97.25 लाख (रूपये सत्तानबे लाख पच्चीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जानेसे पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

7- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह आपका उत्तरदायित्व होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

10- सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समयसमय पर - जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001110500 (फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक (

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	02 मजदूरी	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
2	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	07 मानदेय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
3	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)
5	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा	13 टेलीफोन पर	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	व्यय	
7	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	29 अनुरक्षण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
8	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	42 अन्य व्यय	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
9	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,75,000 (रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)
10	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	8,50,000 (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**97,25,000** **(रुपये सत्तानवे लाख पच्चीस हजार मात्र)**
महायोग				97,25,000 (रुपये सत्तानवे लाख पच्चीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-41/2023/001-571-2373510-2023-12-5-9-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तरत प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल/आडिट) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा) कृषि भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।